



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 20 अप्रैल, 2020 ई०
(बैशाख 31, 1942 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 2131 / दस-लाइसेंस-58 / वि०म० देशी शराब-थोक नियमावली / 2020-2021

प्रयागराज, दिनांक : 20 सोमवार, 2020 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-18

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

1-संक्षिप्त नाम व प्रारंभ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन—उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

2- परिभाषायें—

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) "देशी शराब" में ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;

(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(घ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों) से है और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;

(छ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी शराब के बिक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;

(झ) निकाल दिया गया ।

(ञ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है;

(ट) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो;

(ठ) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है;

(ड) निकाल दिया गया है ।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

2- परिभाषायें—

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) "देशी शराब" में ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;

(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(घ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों) से है और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;

(छ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी शराब के बिक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

(झ) निकाल दिया गया ।

(ञ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है;

(ट) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो;

(ठ) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है;

(ड) निकाल दिया गया है ।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(ढ) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आष्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक आपूर्तक से एक्स डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तक द्वारा देशी शराब के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ण) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(त) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है;

(थ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा- 30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीब्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब के आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।

3-नियम-4 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

4-लाइसेंस की स्वीकृति

(1) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तारित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ढ) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आष्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक आपूर्तक से एक्स डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तक द्वारा देशी शराब के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ण) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(त) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है;

(थ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा- 30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीब्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब के आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।

दिए गए विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-लाइसेंस की स्वीकृति

(1) (क) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।

(ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि विधिमाम्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तारित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

4-नियम-7 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

7- लाइसेंस का जारी किया जाना :-

लाइसेंस, प्रपत्र दे0श0-2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7- लाइसेंस का जारी किया जाना :-

लाइसेंस, प्रपत्र दे0श0-2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।

5-नियम-8 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

8-देशी शराब की आपूर्ति :-

लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों में देशी शराब के लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य राज्यों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से, आबकारी शुल्क और ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् उपाप्त करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8-देशी शराब की आपूर्ति :-

लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों/**टेद्रा पैक्स** में देशी शराब के लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य राज्यों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से, आबकारी शुल्क और ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् उपाप्त करेगा।

6-नियम-16 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

16- निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियां :-

(1) लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है-

(क) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में देशी शराब की कोई बोतल या पात्र पाया जाये जिस पर आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिसपर आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड नहीं लगा है;

(ख) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक ओषधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य, देशी शराब के फुटकर विक्रेताओं से लिया जाता है;

(घ) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में अप्राधिकृत रूप से कोई स्प्रिट, रंग, एसेन्स या सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र आदि पाये जाते हैं;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

16- निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियां :-

(1) लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है-

(क) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में देशी शराब की कोई बोतल/**टेद्रा पैक** या पात्र पाया जाये जिस पर आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिसपर आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड नहीं लगा है;

(ख) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक ओषधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य, देशी शराब के फुटकर विक्रेताओं से लिया जाता है;

(घ) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में अप्राधिकृत रूप से कोई स्प्रिट, रंग, एसेन्स या सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र आदि पाये जाते हैं;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(ड) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियाँ की गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है;

(च) यदि यह प्रमाण मिलता है कि थोक लाइसेंस को-शिकमी पर रखा गया है या उसे अंतरित किया गया है;

(छ) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक ओषधि पायी जाती है;

(ज) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र या आवेदन-पत्र से किये गये प्राख्यान, असत्य, मिथ्या या भ्रामक पाये जाते हैं;

(झ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लाइसेंस धारण किये हुये है;

(त) यदि लाइसेंसधारी मांग की गई तीव्रता, मात्रा, ब्राण्ड व पैकेजिंग के अनुसार, मूल्य, जिसमें शुल्क व अन्य कर व उदग्रहण, जो ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा हो सहित मूल्य के साथ-साथ देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु मांग पत्र प्राप्त होने के अड़तालीस घण्टे के भीतर देशी शराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है।

(थ) यदि लाइसेंसधारी, लाइसेंस में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन करता है।

(द) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना बार कोड/क्यू0आर0कोड का कोई स्टॉक पाया जाता है।

(ध) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) उप खण्ड-(1) में उल्लिखित अनियमितताओं के पाये जाने के मामले में, लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस को रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति धनराशि को समपहृत करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। आपत्तियों पर विचार करने और लाइसेंसधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर, यदि चाहे, प्रदान करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश, जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी उप नियम-(2) की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् लाइसेंसधारी द्वारा या उसके विक्रेता द्वारा की गयी किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या अनियमितताओं के द्वारा हुये आबकारी राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति भी लाइसेंसधारी से वसूल करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ड) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियाँ की गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है;

(च) यदि यह प्रमाण मिलता है कि थोक लाइसेंस को-शिकमी पर रखा गया है या उसे अंतरित किया गया है;

(छ) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक ओषधि पायी जाती है;

(ज) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र या आवेदन-पत्र से किये गये प्राख्यान, असत्य, मिथ्या या भ्रामक पाये जाते हैं;

(झ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लाइसेंस धारण किये हुये है;

(त) यदि लाइसेंसधारी मांग की गई तीव्रता, मात्रा, ब्राण्ड व पैकेजिंग के अनुसार, मूल्य, जिसमें शुल्क व अन्य कर व उदग्रहण, जो ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा हो सहित मूल्य के साथ-साथ देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु मांग पत्र प्राप्त होने के अड़तालीस घण्टे के भीतर देशी शराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है।

(थ) यदि लाइसेंसधारी, लाइसेंस में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन करता है।

(द) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना बार कोड/क्यू0आर0कोड का कोई स्टॉक पाया जाता है।

(ध) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) उप खण्ड-(1) में उल्लिखित अनियमितताओं के पाये जाने के मामले में, लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस को रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति धनराशि को समपहृत करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। आपत्तियों पर विचार करने और लाइसेंसधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर, यदि चाहे, प्रदान करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश, जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी उप नियम-(2) की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् लाइसेंसधारी द्वारा या उसके विक्रेता द्वारा की गयी किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या अनियमितताओं के द्वारा हुये आबकारी राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति भी लाइसेंसधारी से वसूल करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(4) थोक लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन की स्थिति में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपित की जायेगी:-

क्र० सं०	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु० में)	द्वितीय बार (रु० में)	तृतीय बार (रु० में)
1	2	3	4	5
1	बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना।	10000	20000	50000
2	स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना।	20000	30000	50000
3	इण्डेन्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना।	10000	20000	50000
4	लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना।	10000	15000	20000
5	सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्य न करना।	10000	20000	30000
6	निर्धारित समयान्तर्गत निकासी न दे पाना।	20000	40000	50000
7	निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना।	20000	30000	50000
8	लाइसेंस प्रस्तुत न होना।	5000	10000	30000
9	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना।	5000	10000	20000
10	साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना।	5000	10000	15000
11	परिसर का अनुमोदित न होना।	10000	25000	50000
12	बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना।	10000	20000	30000
13	फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना।	10000	20000	50000

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(4) थोक लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन की स्थिति में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपित की जायेगी:-

क्र० सं०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु० में)	द्वितीय बार (रु० में)	तृतीय बार (रु० में)
1	2	3	4	5
1	बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना।	10000	20000	50000
2	स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना।	20000	30000	50000
3	इण्डेन्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना।	10000	20000	50000
4	लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना।	10000	15000	20000
5	सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्य न करना।	10000	20000	30000
6	निर्धारित समयान्तर्गत निकासी न दे पाना।	20000	40000	50000
7	निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना।	20000	30000	50000
8	लाइसेंस प्रस्तुत न होना।	5000	10000	30000
9	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना।	5000	10000	20000
10	साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना।	5000	10000	15000
11	परिसर का अनुमोदित न होना।	10000	25000	50000
12	बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना।	10000	20000	30000
13	फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना।	10000	20000	50000
14	यदि स्टॉक रजिस्टर मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।	20000	25000	30000
15	यदि स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण पाया जाता है।	10000	15000	20000
16	किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिश दूसरी दुकान पर सद्भावी कारणों से पायी जाती है।	25000	50000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01-16 तक पर न अंकित हो।	2,000	5,000	10,000

प्रशमन योग्य अनियमिततायों के मामले में, उप आबकारी आयुक्त तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को, अनियमितता का प्रशमन करने तथा प्रशमन शुल्क स्वीकृत करने का हक होगा।

प्रशमन योग्य अनियमिततायों के मामले में, उप आबकारी आयुक्त तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को, अनियमितता का प्रशमन करने तथा प्रशमन शुल्क स्वीकृत करने का हक होगा।

7-प्रपत्र दे०श०-2 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र सी०एल०-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
दे०श०-2

(जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस)
(नियम-2(ड))

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो

- सी०एल०-2 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....
1-लाइसेंस संख्या.....
2-जिला.....
3-लाइसेंसधारी का नाम व पूरा पता एवं आधार नम्बर
- 4- सी०एल०-2 लाइसेंस की संख्या
और दिनांक.....
- 5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में).....(अंक में)
.....(शब्द में)
- 6-प्रतिभूति जमा (रुपये में).....(अंक में)
.....(शब्द में)
- 7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण
स्थान और मकान संख्या.....
पुलिस थाना.....तहसील.....
उत्तर.....दक्षिण.....
पूरब.....पश्चिम.....
- 8-प्राधिकृत विक्रेता/विक्रेताओं के नाम, पता तथा आधार संख्या
1.....
2.....
3.....
4

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
दे०श०-2

(जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस)
(नियम-2(ड))

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो

- सी०एल०-2 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....
1-लाइसेंस संख्या.....
2-जिला.....
3-लाइसेंसधारी का नाम व पूरा पता एवं आधार नम्बर
- 4- सी०एल०-2 लाइसेंस की संख्या
और दिनांक.....
- 5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में).....(अंक में)
.....(शब्द में)
- 6-प्रतिभूति जमा (रुपये में).....(अंक में)
.....(शब्द में)
- 7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण
स्थान और मकान संख्या.....
पुलिस थाना.....तहसील.....
उत्तर.....दक्षिण.....
पूरब.....पश्चिम.....
- 8-प्राधिकृत विक्रेता/विक्रेताओं के नाम, पता तथा आधार संख्या
1.....
2.....
3.....
4

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

25 प्रतिशत वी/वी की सादा एवं मसालेदार देशी शराब की 200मि०ली० क्षमता की बोतलों में, 36 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार देशी शराब की 200 मि०ली० क्षमता की बोतलों में, तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की तीव्र मसालेदार देशी शराब की 200 मि०ली० क्षमता की बोतलों में थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, जिला.....में..... (स्थान) पुलिस थानातहसील.....के लिये दिनांकसे 31 मार्च, 20..... तक के लिये, जिसके लिये नियम-7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी, लाइसेंस के रद्दकरण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।

निबंधन एवं शर्तें

1. लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी०डब्ल्यू०सी०एल०-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।
2. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।
3. थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिले के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम-10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।
4. थोक विक्रेता को देशी शराब की निकासी, पी०डी०-25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

25 प्रतिशत वी/वी की सादा एवं मसालेदार देशी शराब की 200मि०ली० क्षमता की बोतलों/टेट्रा पैक्स में, 36 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार देशी शराब की 200 मि०ली० क्षमता की बोतलों में, तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की तीव्र मसालेदार देशी शराब की 200 मि०ली० क्षमता की बोतलों में थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, जिला.....में..... (स्थान) पुलिस थानातहसील.....के लिये दिनांकसे 31 मार्च, 20..... तक के लिये, जिसके लिये नियम-7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी, लाइसेंस के रद्दकरण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।

निबंधन एवं शर्तें

1. लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की **पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स** में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी०डब्ल्यू०सी०एल०-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।
2. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।
3. थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिले के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम-10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।
4. थोक विक्रेता को देशी शराब की निकासी, पी०डी०-25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उ0प्र0 आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत विक्रेता, फुटकर विक्रेता को प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर विक्रेता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से (www.upexcise.in) वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
7. देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तों के नियम-8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी शराब आपूर्ति करने में विफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।
9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक मांग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।
11. देशी शराब का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नहीं करेगा।
12. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी शराब की बोतलों ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंसप्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी।
13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा।
14. थोक विक्रेता को शराब अथवा किसी अन्य प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उ0प्र0 आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत विक्रेता, फुटकर विक्रेता को प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर विक्रेता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से (www.upexcise.in) वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
7. देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तों के नियम-8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी शराब आपूर्ति करने में विफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।
9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक मांग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।
11. देशी शराब का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नहीं करेगा।
12. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी शराब की **पेट/ग्लास बोतलों/ट्रेड पैक्स** ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंसप्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी।
13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा।
14. थोक विक्रेता को शराब अथवा किसी अन्य प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोटलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रखेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
" परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"
18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 21- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना एवं कार्यरत रखना अनिवार्य होगा, जिसे आई०पी० एट्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।
- 22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।
- 23- उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी०डब्ल्यू०सी०एल०-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोलीशनिंग सिस्टम युक्त यानों का ही प्रयोग किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोटलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रखेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
" परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"
18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 21- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना एवं कार्यरत रखना अनिवार्य होगा, जिसे आई०पी० एट्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।
- 22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।
- 23- उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी०डब्ल्यू०सी०एल०-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोलीशनिंग सिस्टम युक्त यानों का ही प्रयोग किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- 24- लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
- 25- दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार/ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट /कांच की बोतलों के उठान का विवरण यथानिर्धारित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।
- 26- लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा।
- 27- फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।
- 28- लाइसेंसधारी कम से कम एक सप्ताह के स्टॉक के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।
- 29- लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रूप में कराई जायेगी।
- 30- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
- 31- लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशान्तर, अवस्थिति का चित्रण विक्रेताओं के नाम व पते जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।
- 32- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

दिनांक:.....

लाइसेंस प्राधिकारी,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 24- लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
- 25- दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार/ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट /कांच की बोतलों और **टेट्रा पैक्स** के उठान का विवरण यथानिर्धारित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।
- 26- लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा।
- 27- फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।
- 28- लाइसेंसधारी कम से कम एक सप्ताह के स्टॉक के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।
- 29- लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रूप में कराई जायेगी।
- 30- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
- 31- लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशान्तर, अवस्थिति का चित्रण विक्रेताओं के नाम व पते जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।
- 32- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

दिनांक:.....

लाइसेंस प्राधिकारी,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पी0 गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ**No. 2131 /X-Licence-58/ Country Liquor Wholesale Rules 2020-2021***Prayagraj, Dated: April 20, 2020***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licence for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Excise Commissioner notification No. 31276/X-Licence-58/2002-2003/dated March 26, 2002

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR WHOLESALE OF COUNTRY LIQUOR) (THIRTEENTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and Commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise commencement (Settlement of licences for Wholesale of Country Liquor) (**Thirteenth** Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment of rule-2— In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of rule-2 Licences for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely—

Column I*Existing rule***2. Definitions**

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "**Act**" means The United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(b) "**country liquor**" includes country spirit "mild" or "strong" Extra Neutral Alcohol having such alcoholic strengths as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government, from time to time;

(c) "**Excise Year**" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;

(d) "**family**" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;

(e) "**form**" means the form appended to these Rules;

(f) "**Licensing Authority**" means the Excise Commissioner;

Column II*Rule as hereby substituted***2. Definitions**

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "**Act**" means The United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(b) "**country liquor**" includes country spirit "mild" or "strong" Extra Neutral Alcohol having such alcoholic strengths as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government, from time to time;

(c) "**Excise Year**" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;

(d) "**family**" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;

(e) "**form**" means the form appended to these Rules;

(f) "**Licensing Authority**" means the Excise Commissioner;

Column I*Existing rule*

(g) **“Licence Fee”** means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government.

(h) **“Security Amount”** means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.

(i) omitted

(j) **‘Partnership Firms’** means a Firm registered under Partnership Act, 1932.

(k) **‘Individual’** means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence.

(l) **‘Company’** means a Company registered under the Companies Act, 2013.

(m) omitted

(n) **“Additional Consideration Fee”**

means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. five and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor.

(o) **“Portal”** means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution.

(p) **“Solvency”** means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence.

Column II*Rule as hereby substituted*

(g) **“Licence Fee”** means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government.

(h) **“Security Amount”** means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.

Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable till it not is refunded.

(i) omitted

(j) **‘Partnership Firms’** means a Firm registered under Partnership Act, 1932.

(k) **‘Individual’** means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence.

(l) **‘Company’** means a Company registered under the Companies Act, 2013.

(m) omitted

(n) **“Additional Consideration Fee”**

means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. five and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor.

(o) **“Portal”** means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution.

(p) **“Solvency”** means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence.

Column I*Existing rule*

(q) "**Consideration fee**" means a fee fixed per liter by the State Government under Section 30 of the Act according to the strength of the country liquor, to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor.

3. Amendment of rule-4—In the said rules, for existing rule 4 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely—

Column I*Existing rule***4. Grant of licence**

(1) The license for wholesale of country liquor shall be granted by Excise Commissioner or an officer authorized by him on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of licence fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.

(2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

4. Amendment of rule-7—In the said rules, for existing rule 7 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely—

Column II*Rule as hereby substituted*

(q) "**Consideration fee**" means a fee fixed per liter by the State Government under Section 30 of the Act according to the strength of the country liquor, to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor.

Column II*Rule as hereby substituted***4. Grant of licence**

(1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.

(b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.

In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

(2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

Column I*Existing rule***7. Issue of licence**

Licences shall be in the form C.L.-2 and shall be granted district wise on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment as fixed by the State Government from time to time.

Column II*Rule as hereby substituted***7. Issue of licence**

Licences shall be in the form C.L.-2 and shall be granted district wise on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment as fixed by the State Government from time to time.

5. Amendment of rule-8- In the said rules, for existing rule 8 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely-

Column I*Existing rule***8. Supply of country liquor**

The Licensee shall procure supplies of country liquor in bottles of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are licensed manufacturers of country liquor or in special case from bonded warehouse of country liquor i.e. BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.

Column II*Rule as hereby substituted***8. Supply of country liquor**

The Licensee shall procure supplies of country liquor in bottles/**tetra packs** of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are licensed manufacturers of country liquor or in special case from bonded warehouse of country liquor i.e. BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.

6. Amendment of rule-16-In the said rules, for existing rule 16 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely-

Column I*Existing rule***16. Suspension, cancellation and penalties.**

(1) Licensing Authority may suspend or cancel the Licence and forfeit the security money-

(a) if any bottle or container of country liquor is found in the Licensed premises on which excise duty has not been paid and which does not carry the Security code duly approved by the Excise Department as a proof of payment of duty;

(b) if any other kind of liquor or intoxicating drug for which licence is not granted is found in the Licensed premises;

Column II*Rule as hereby substituted***16. Suspension, cancellation and penalties.**

(1) Licensing Authority may suspend or cancel the Licence and forfeit the security money-

(a) if any bottle/**tetra pack** or container of country liquor is found in the Licensed premises on which excise duty has not been paid and which does not carry the Security code duly approved by the Excise Department as a proof of payment of duty;

(b) if any other kind of liquor or intoxicating drug for which licence is not granted is found in the Licensed premises;

Column I*Existing rule*

(c) if Licensee charges from retailers of country liquor more than the maximum wholesale price fixed by the Excise Commissioner;

(d) if any unauthorized security code making apparatus, spirit, colour, essence etc. is found in the Licensed premises.

(e) if Licensee has made incorrect or fraudulent entries in records which resulted in loss of revenue;

(f) if it is proved that the wholesale licence has been sublet or transferred;

(g) if any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the Licensee against the provisions of the Act or rules;

(h) if the assertions made in the affidavit or in the application form submitted by the Licensee at the time of application are found incorrect, false or misleading;

(i) if it is found that the licence has been obtained in a fictitious name or the Licensee is holding the licence on behalf of some other person;

(j) if Licensee fails to supply country liquor according to demand of strength, volume, brand and packing type within forty-eight hours of the receipt of indent for supply of country liquor along-with price including duty, other taxes and levy deposited under e-payment platform.

(k) if licensee violates any of the conditions mentioned in the licence form.

(l) if any stock is found without bar code/ Q.R code in the licenced premise.

(m) if any adulteration with water or any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found in licence premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) In case irregularities mentioned in sub-clause (1) are found the Licencing Authority shall immediately suspend the licence and issue a show cause notice for cancellation of licence and forfeiture of security amount, consider the objection and give personal hearing to the Licensee if desired. Thereafter Licencing Authority shall pass suitable orders as it deems fit.

Column II*Rule as hereby substituted*

(c) if Licensee charges from retailers of country liquor more than the maximum wholesale price fixed by the Excise Commissioner;

(d) if any unauthorized security code making apparatus, spirit, colour, essence etc. is found in the Licensed premises.

(e) if Licensee has made incorrect or fraudulent entries in records which resulted in loss of revenue;

(f) if it is proved that the wholesale licence has been sublet or transferred;

(g) if any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the Licensee against the provisions of the Act or rules;

(h) if the assertions made in the affidavit or in the application form submitted by the Licensee at the time of application are found incorrect, false or misleading;

(i) if it is found that the licence has been obtained in a fictitious name or the Licensee is holding the licence on behalf of some other person;

(j) if Licensee fails to supply country liquor according to demand of strength, volume, brand and packing type within forty-eight hours of the receipt of indent for supply of country liquor along-with price including duty, other taxes and levy deposited under e-payment platform.

(k) if licensee violates any of the conditions mentioned in the licence form.

(l) if any stock is found without bar code/ Q.R code in the licenced premise.

(m) if any adulteration with water or any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found in licence premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) In case irregularities mentioned in sub-clause (1) are found the Licencing Authority shall immediately suspend the licence and issue a show cause notice for cancellation of licence and forfeiture of security amount, consider the objection and give personal hearing to the Licensee if desired. Thereafter Licencing Authority shall pass suitable orders as it deems fit.

Column I

Existing rule

(3) The licensing authority shall also recover the loss of revenue caused due to incorrect entries or irregularities committed by the Licensee or his salesman from the Licensee after observing procedure of sub-rule(2).

(4) In case of compoundable breaches at wholesale licenses, minimum compounding fee shall be imposed as follows—

S. no	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Providing inducement to retail licensee for increasing sale.	10000	20000	50000
2	Stock not found according to account.	20000	30000	50000
3	Proper indent register not maintained.	10000	20000	50000
4	Not putting up board out side licensed premise. Necessary information not written on the board.	10000	15000	20000
5	Proper arrangement of CCTV not found or CCTV not functioning	10000	20000	30000
6	Inability to supply in prescribed time period.	20000	40000	50000
7	Minimum assessed stock not found.	20000	30000	50000
8	Inability to produce licence.	5000	10000	30000
9	Operation of licence by unauthorized sales man.	5000	10000	20000
10	Proper arrangement of cleanliness not found.	5000	10000	15000
11	Premises not found approved.	10000	25000	50000

Column II

Rule as hereby substituted

(3) The licensing authority shall also recover the loss of revenue caused due to incorrect entries or irregularities committed by the Licensee or his salesman from the Licensee after observing procedure of sub-rule(2).

(4) In case of compoundable breaches at wholesale licenses, minimum compounding fee shall be imposed as follows—

S. no	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Providing inducement to retail licensee for increasing sale.	10000	20000	50000
2	Stock not found according to account.	20000	30000	50000
3	Proper indent register not maintained.	10000	20000	50000
4	Not putting up board out side licensed premise. Necessary information not written on the board.	10000	15000	20000
5	Proper arrangement of CCTV not found or CCTV not functioning	10000	20000	30000
6	Inability to supply in prescribed time period.	20000	40000	50000
7	Minimum assessed stock not found.	20000	30000	50000
8	Inability to produce licence.	5000	10000	30000
9	Operation of licence by unauthorized sales man.	5000	10000	20000
10	Proper arrangement of cleanliness not found.	5000	10000	15000
11	Premises not found approved.	10000	25000	50000

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12	Extension of premises without permission.	10000	20000	30000	12	Extension of premises without permission.	10000	20000	30000
13	Not sending retail shop wise monthly supply report in brand wise, capacity wise, strength wise and packaging wise.	10000	20000	50000	13	Not sending retail shop wise monthly supply report in brand wise, capacity wise, strength wise and packaging wise.	10000	20000	50000
					14	If stock register is not produced when asked for	20000	25000	30000
					15	If stock register is found incomplete.	10000	15000	20000
					16	If liquor issued to any one particular shop is found in another shop due to bonafide reasons.	25000	50000	Proceeding of cancellation of license.
					17	Any other irregularity, which is not mentioned under serial-01 to 16.	2000	5000	10000

In case of compoundable irregularities, officers of the rank of Deputy Excise Commissioner and above shall be entitled to compound the irregularity and accept the compounding fees.

In case of compoundable irregularities, officers of the rank of Deputy Excise Commissioner and above shall be entitled to compound the irregularity and accept the compounding fees.

7. Amendment—In the said rules, for existing form CL-2 set out in Column-I below, of form CL-2 the form as set out in Column-II shall be substituted, namely—

Column I

Existing rule

CL-2

(Licence for Wholesale vend of Country Liquor in a District)
(Rule 2(e))

Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant
--------------------	-----------------------

Photo of Licensed Premises

Column II

Rule as hereby substituted

CL-2

(Licence for Wholesale vend of Country Liquor in a District)
(Rule 2(e))

Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant
--------------------	-----------------------

Photo of Licensed Premises

Column I <i>Existing rule</i>	Column II <i>Rule as hereby substituted</i>
Latitude/Longitude of C.L.-2 premises....	Latitude/Longitude of C.L.-2 premises....
1. Licence number:	1. Licence number:
2. District:	2. District:
3. Name, Full address and Aadhar Number of the Licensee(s):	3. Name, Full address and Aadhar Number of the Licensee(s):
(i).....	(i).....
(ii).....	(ii).....
4. No. of CL-2 Licence	4. No. of CL-2 Licence
5. Licence Fee-(Rs.):..... in figures in words	5. Licence Fee-(Rs.):..... in figures in words
6. Security deposit(Rs.):..... in figures in words	6. Security deposit(Rs.):..... in figures in words
7. Location of the licensed premises: Locality & house number.....	7. Location of the licensed premises: Locality & house number.....
Tehsil	Tehsil
Police station	Police station
North	North
South	South
East	East
West	West
8. Names, address and aadhar number of authorized Salesmen	8. Names, address and aadhar number of authorized Salesmen
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
Licence for the wholesale vend of "spiced" strong Country Liquor at a fixed strength of 42.8% v/v, 36% v/v and plain/spiced mild country liquor at a strength of 25% v/v in bottles having capacities of 200ml is hereby granted to above licence holder(s), at.....(place) in P.S.....Tehsil.....in the district of w.e.f. from..... to March 31 st , 20..... for which licence fee and security has been paid in accordance with rule-7.	Licence for the wholesale vend of "spiced" strong Country Liquor at a fixed strength of 42.8% v/v, 36% v/v and plain/spiced mild country liquor at a strength of 25% v/v in bottles/ tetra packs having capacities of 200ml is hereby granted to above licence holder(s), at.....(place) in P.S.....Tehsil.....in the district of w.e.f. from..... to March 31 st , 20..... for which licence fee and security has been paid in accordance with rule-7.

Column I*Existing rule*

The licence is subject to the following terms and conditions, the infraction of any of which or violation of the provisions of rule-16 or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the Licensee(s) liable for cancellation of the Licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Terms and Conditions

1 The Licensee shall procure supplies of country liquor in bottles of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are Licensed manufacturers of country liquor or in special case from Bonded warehouse of country liquor i.e, BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.

2. The Licensee shall not charge more than the prescribed Maximum Wholesale Price of country liquor and additional licence fee as fixed by the Excise Commissioner, from the retailer.
3. The Wholesale licensee under the provisions of the licence may sell country liquor to retail licensee of the district or other districts in accordance with the provisions of sub-clause (I),(II) and (III) of rule-10.
4. Issue of country liquor to the wholesale vendor shall be under pass P.D.-25A. Computer generated passes and records of all such issues shall be maintained in the prescribed register.
5. Licensee shall enter all the indents received from the retailer including the demand of the retail licensee, date and time of the indent and quantity issued in the register prescribed by the Excise Commissioner and also upload such information on the website upexciseonline.in

Column II*Rule as hereby substituted*

The licence is subject to the following terms and conditions, the infraction of any of which or violation of the provisions of rule-16 or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the Licensee(s) liable for cancellation of the Licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Terms and Conditions

1 The Licensee shall procure supplies of country liquor in **pet /glass bottles/tetra packs** of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are Licensed manufacturers of country liquor or in special case from Bonded warehouse of country liquor i.e, BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.

2. The Licensee shall not charge more than the prescribed Maximum Wholesale Price of country liquor and additional licence fee as fixed by the Excise Commissioner, from the retailer.
3. The Wholesale licensee under the provisions of the licence may sell country liquor to retail licensee of the district or other districts in accordance with the provisions of sub-clause (I),(II) and (III) of rule-10.
4. Issue of country liquor to the wholesale vendor shall be under pass P.D.-25A. Computer generated passes and records of all such issues shall be maintained in the prescribed register.
5. Licensee shall enter all the indents received from the retailer including the demand of the retail licensee, date and time of the indent and quantity issued in the register prescribed by the Excise Commissioner and also upload such information on the website upexciseonline.in

Column I*Existing rule*

6. The licensee or the authorized salesman of the licensee shall enter day to day issues of country liquor to the retailer in the prescribed sale register and also make entries in the passbook of the retailer and which shall also be uploaded online on the website of upexciseonline.in through MIS (Management Information System).
7. The day-to-day account of opening balance, receipt, sale and closing balance of country liquor shall be maintained daily in the stock register.
8. The licensee shall be liable to supply the country liquor according to terms and conditions in rule-8 of rules 2002 (as amended) within 48 hours of receiving the indent, along-with the cost of country liquor inclusive of consideration fee and other taxes etc. In case the licensee fails to supply the country liquor, his security deposit shall be liable to be forfeited and the licence shall be liable for cancellation.
9. The Licensee shall maintain a shop-wise register of the daily indents received and total issues made in respect of the indents and also upload on the specified website of the Excise Department of Uttar Pradesh.
10. The licensee shall prepare and issue computer generated transport pass in triplicate in the form prescribed by the Excise Commissioner in accordance with the provisions of rule-11, in which name of the retailer, date of issue, purchased quantity and the consideration fee involved shall be entered.
11. The country liquor shall be stored in the licensed premises only. Licensee shall not extend premises without permission.
12. The licensee would only store bottles of country liquor having security Code approved by the Excise Department, in the licensed premises and no other intoxicating liquor or drug shall be stored in the licensed premises.

Column II*Rule as hereby substituted*

6. The licensee or the authorized salesman of the licensee shall enter day to day issues of country liquor to the retailer in the prescribed sale register and also make entries in the passbook of the retailer and which shall also be uploaded online on the website of upexciseonline.in through MIS (Management Information System).
7. The day-to-day account of opening balance, receipt, sale and closing balance of country liquor shall be maintained daily in the stock register.
8. The licensee shall be liable to supply the country liquor according to terms and conditions in rule-8 of rules 2002 (as amended) within 48 hours of receiving the indent, along-with the cost of country liquor inclusive of consideration fee and other taxes etc. In case the licensee fails to supply the country liquor, his security deposit shall be liable to be forfeited and the licence shall be liable for cancellation.
9. The Licensee shall maintain a shop-wise register of the daily indents received and total issues made in respect of the indents and also upload on the specified website of the Excise Department of Uttar Pradesh.
10. The licensee shall prepare and issue computer generated transport pass in triplicate in the form prescribed by the Excise Commissioner in accordance with the provisions of rule-11, in which name of the retailer, date of issue, purchased quantity and the consideration fee involved shall be entered.
11. The country liquor shall be stored in the licensed premises only. Licensee shall not extend premises without permission.
12. The licensee would only store **pet/ glass bottles/ tetra packs** of country liquor having security Code approved by the Excise Department, in the licensed premises and no other intoxicating liquor or drug shall be stored in the licensed premises.

Column I <i>Existing rule</i>	Column II <i>Rule as hereby substituted</i>
13. The licensee shall not keep any unauthorized liquor or intoxicating drug in his possession.	13. The licensee shall not keep any unauthorized liquor or intoxicating drug in his possession.
14. Wholesale vendor is prohibited from undertaking any bottling, blending or coloring of liquor and he shall not keep any instrument for this purpose in his possession.	14. Wholesale vendor is prohibited from undertaking any bottling, blending or coloring of liquor and he shall not keep any instrument for this purpose in his possession.
15. Licensee shall not tamper with the labels, capsule seals or security code affixed on the bottles kept in the licensed premises.	15. Licensee shall not tamper with the labels, capsule seals or security code affixed on the bottles kept in the licensed premises.
16. The licenced premises shall remain open for sale from 8:00AM to 8:00PM except on 14 th April (Ambedkar Jayanti), 15 th August (Independence Day), 02 nd October (Gandhi Jayanti) 26 th January (Republic Day), and any other day notified by the District Magistrate. District Magistrate can order closure of shop under relevant laws for reasons related to law and order or general elections. No compensation will be payable for closures for above mentioned reasons.	16. The licenced premises shall remain open for sale from 8:00AM to 8:00PM except on 14 th April (Ambedkar Jayanti), 15 th August (Independence Day), 02 nd October (Gandhi Jayanti) 26 th January (Republic Day), and any other day notified by the District Magistrate. District Magistrate can order closure of shop under relevant laws for reasons related to law and order or general elections. No compensation will be payable for closures for above mentioned reasons.
17. Licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop approved by Excise Commissioner displaying the name of the licensee, location of the licence, period of licence and such other information as prescribed by the Licensing Authority in bold letters. The signboard will also display the following information :- "Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."	17. Licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop approved by Excise Commissioner displaying the name of the licensee, location of the licence, period of licence and such other information as prescribed by the Licensing Authority in bold letters. The signboard will also display the following information :- "Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable."
18. The licensee shall provide all possible assistance and shall produce all documents and records required by the inspecting authority.	18. The licensee shall provide all possible assistance and shall produce all documents and records required by the inspecting authority.
19. The licensee shall abide by such other general or specific orders as are issued by the Excise Commissioner from time to time.	19. The licensee shall abide by such other general or specific orders as are issued by the Excise Commissioner from time to time.

Column I <i>Existing rule</i>	Column II <i>Rule as hereby substituted</i>
20. The licensee shall not employ any salesman below twenty-one years of age or who has criminal background or suffers from any infectious diseases or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	20. The licensee shall not employ any salesman below twenty-one years of age or who has criminal background or suffers from any infectious diseases or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.
21. The licensee shall install active C.C.T.V. Cameras near opening gate and within godown of licensed premises which could easily be monitored from Excise Headquarters through I.P. Address	21. The licensee shall install active C.C.T.V. Cameras near opening gate and within godown of licensed premises which could easily be monitored from Excise Headquarters through I.P. Address.
22. The licensee shall also make necessary arrangement for Security System apart from installation of fire fighting instrument in the premises of godown.	22. The licensee shall also make necessary arrangement for Security System apart from installation of fire fighting instrument in the premises of godown.
23. Consignments of country liquor from distilleries of U.P. or BWCL-1 licenses of other states settled in Uttar Pradesh other states shall be transported only through the vehicles fitted with Global Positioning system.	23. Consignments of country liquor from distilleries of U.P. or BWCL-1 licenses of other states settled in Uttar Pradesh other states shall be transported only through the vehicles fitted with Global Positioning system.
24. The licensee shall not have any licence for the retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop.	24. The licensee shall not have any licence for the retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop.
25. Shop wise, capacity and strength wise, brand wise, and packaging wise details of PET/Glass bottles lifted shall be uploaded on the specified portal.	25. Shop wise, capacity and strength wise, brand wise, and packaging wise details of PET/Glass bottles and tetra packs lifted shall be uploaded on the specified portal.
26. Licensee shall not provide any inducement for increasing own sale	26. Licensee shall not provide any inducement for increasing own sale
27. Indents of retail licensees shall be disposed off on first come first serve basis.	27. Indents of retail licensees shall be disposed off on first come first serve basis.
28. Licensee shall keep a minimum stock equivalent to one week requirement.	28. Licensee shall keep a minimum stock equivalent to one week requirement.
29. Licensee shall arrange to receive payments for sale through electronic payment platforms such as debit card, credit card, BHIM, RTGS, NEFT and other similar means along with cash.	29. Licensee shall arrange to receive payments for sale through electronic payment platforms such as debit card, credit card, BHIM, RTGS, NEFT and other similar means along with cash.
30. Licensee shall employ computer operator for maintenance of records.	30. Licensee shall employ computer operator for maintenance of records.

Column I*Existing rule*

31. Licensee shall be responsible for affixation of photographs, and depiction of latitude and longitude of location of the licensed premises, names and addresses of salesmen after attestation by the District Excise Officer and submission of an attested copy of the licence within a week to Excise Headquarters.

32- Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them .

Date:.....

Licensing Authority
EXCISE COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH.

Column II*Rule as hereby substituted*

31. Licensee shall be responsible for affixation of photographs, and depiction of latitude and longitude of location of the licensed premises, names and addresses of salesmen after attestation by the District Excise Officer and submission of an attested copy of the licence within a week to Excise Headquarters.

32- Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them .

Date:.....

Licensing Authority
EXCISE COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH.

P.GURU PRASAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.